वन विभाग हरियाणा सरकार

कार्यालय :–वन मण्डल अधिकारी, मोरनी पिंजौर वन मण्डल, पिंजौर
वन परिसर पिंजौर, दूरभाश / फैक्स नं0 01733–230537
e-mail-dfomorni@gmail.com

कमांकः– 6883 दिनांकः– 11-09-2023

सेवा मेंः–

DLF Homes Pvt. Ltd.
SCO 188-189, Sector 8-C,
Chandigarh.

विषयः– **Issuance of NOC for land of 15.833 acres situated at village bhagwanpur (H.B. No. 193) Tehsil Kalka Distt. Panchkula to be developed by M/s DLF Homes Pvt. Ltd.**

संदर्भः– आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 09.08.2023

संदर्भांकित पत्र के सम्बन्ध में आपको अवगत करवाया जाता है कि आपकी मलकीयत भूमि जोकि गांव भगवानपूर जिला पंचकूला के हदबस्त नं0 193 में पड़ती है, वह भूमि इस कार्यालय के रिकार्ड के अनुसार पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की धारा 4 व 5 में नही पड़ती है।

इसके अतिरिक्त वन राजिक अधिकारी, पिंजौर ने उनके पत्र क0 677 दिनांक 04.09.2023 द्वारा अवगत करवाया है कि आप द्वारा उक्त भूमि पर मकान बनाए जाने है। जिस पर पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 की सामान्य धारा 4 लागू है व उक्त भूमि ईस्लामनगर पी0एफ0 के लगती है व मौके पर कोई सीमा बुर्जी मौजूद नही है जिससे पता किया जा सके आपकी भूमि व वन भूमि की हदबन्दी कहां तक है। इसलिये उक्त भूमि की संयुक्त निशानदेही करवाई जानी अतिआवश्यक है। अतः आपको लिखा जाता है कि उक्त भूमि में कोई भी कार्य करने से पूर्व इस भूमि की संयुक्त निशानदेही करवायें। इस भूमि को समतल करने व इससे कोई वृक्ष काटने से पूर्व नियमानुसार इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र में सुखना वन्य प्राणी विहार का ईको सैंसिटिव जोन प्रस्तावित है। जिसके सम्बन्ध में आप उक्त भूमि में कोई कार्य करने से पूर्व ईको सैंसिटिव जोन में लागू प्रावधानों के तहत अनुमति लेना सुनिश्चित करें।

वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।

पृ0क0:– दिनांकः–

एक प्रति वन राजिक अधिकारी, पिंजौर को उनके कार्यालय के पत्र कमांक 677 दिनांक 04.09.2023 के सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि निशानदेही उपरांत ही प्रयोक्ता एजैंसी को उक्त भूमि में कोई कार्य करने दिया जाये।

-sd-
वन मण्डल अधिकारी,
मोरनी–पिंजौर वन मण्डल,
पिंजौर।